राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 35/21

दायर दिनांक 28.06.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. प्रहलाद पुत्र हीराराम जाति जाट नि0 ग्राम पींगलोद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

——वादी

बनाम

1. कमला देवी पत्नि किशनाराम जाति जाट नि0 ग्राम जाजोता हाल नि0 रूपनगढ
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0भू–राज0अधि0 1956

दिनांक 22.06.2022

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम रूपनगढ़, पटवार हल्का रूपनगढ़, भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 847 के ख0न0 3408/1200 रकबा 0.0202 है0 भूमि अवस्थित है, जिसमे प्रार्थी का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार सम्पूर्ण है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी के नाम कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मेरी खातेदारी की कृषि भूमि में नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद उत्पन ना हो तथा मौके की यथास्थिति बनाई रखे। इसलिए वादी की ओर से उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किए जाने के संबंध में धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। वही जब तक मुझवादी की कृषि आराजी की पत्थरगढी नहीं की जावे तब तक मेरी खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जावे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। वही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वर्तमान में मेरी खातेदारी की कृषि भूमि की नींव, सींव, खन्दक के साथ छेड़छाड़ नहीं करे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे। मुझ वादी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी नहीं होने के कारण सीमाओं का ज्ञान नही है। जिसके कारण अपूर्णीय क्षति हो रही है। वही मेरी कृषि आराजी में पड़ोसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के खाता 847 के ख0न0 3408/1200 रकबा 0.0202 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि जब तक वादी की कृषि भूमि का नाप व पत्थरगढ़ी नही हो तब तक वादी की खातेदारी की भूमि की नींव, सींव, के साथ किसी प्रकार की छेड़–छाड़ नहीं करते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु वाद डिक्री किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.02 12:19:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़–अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)